कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail :corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

क्र..652../रा.वि../न.पा.नि./2025 रायगढ़ दिनांक 13/05/25

//पौनी पसारी योजनांतर्गत चबूतरा आबंटन हेतु आमंत्रण सूचना//

नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रांतर्गत पौनी पसारी योजनांतर्गत निर्मित चबूतरा को सैलून/पार्लर, मोची, धोबी/लाण्ड्री, दर्जी, मुर्तिकार, बढ़ाई, पेन्टर, चाय–पकोड़ा स्टॉल, आभूषण एवं सौन्दर्य सामाग्री (मणिहारी), दुध एवं दुध से निर्मित उत्पाद, लोहार, कुम्हार, घसिया, मरार, केंवट गडरिया, कोष्टा, पटवा, दोना–पत्तल, बॉस का टोकना, सूपा, कंबल, चटाई, सब्जी–भाजी, गोदना/टैटू, फूलमाली, पूजन सामाग्री के व्यवसाय के लिए आबंटित किया जाना हैं। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के परंपरागत व्यवसाय करने हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं को व्यवसाय हेतु किफायती दैनिक शुल्क पर चबूतरा आबंटित किया जाना हैं। पौनी पसारी परिसर का रख–रखाव निकाय द्वारा किया जावेगा। इस हेतु निकाय द्वारा चबूतरा आबंटित किये गये हितग्राही से रूपये 10/– प्रति दिवस किराया वसूली की जावेगी। चबूतरा आबंटन हेतु नियत चबूतरा से अधिक आवेदन आने पर चबूतरा का वितरण लॉटरी कें माध्यम से किया जावेगा। नगर पालिक निगम रायगढ़ क्षेत्रातंर्गत स्थित पौनी पसारी योजनातंर्गत निर्मित चबूतरों का विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र	पौनी पसारी का स्थान
1.	भगवानपुर रोड , सी.एम.एच.ओ. तिराहा के आगे
2.	मोदी नगर कॉलोनी के शुंरू में
3.	राजीव नगर, दूध डेयरी के अंदर

उपरोक्त चबूतरा आबंटन हेतु परम्परागत उपरोक्त वर्णित कार्य करने वाले हितग्राहियों से **दिनांक** 03/06/25 तक आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

नोंटः– आवेदन आमंत्रण के संबंध में संबंधित नियम एवं शर्ते नगर निगम रायगढ़ कार्यालय में कार्यालयीन अवधि निर्धारित समय में देखी जा सकती हैं।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र..652/ रा.वि./न.पा.नि./2025 रायगढ़ दिनांक 13/05/25

प्रतिलिपिः–

01. कलेक्टर, जिला रायगढ़ एवं प्रशासक, नगरपालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
02. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
03. उपायुक्त, नगरपालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
04. कार्यपालन अभियंता, नगरपालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
05. राजस्व अधिकारी, नगरपालिक निगम रायगढ़ को सूचनार्थ।
06. प्रोग्रामर, नगरपालिक निगम रायगढ़ को संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास की वेबसाईट में अपलोड हेतु।
07. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)
E-mail :corporationraigarh@gmail.com
Phone No:- 07762-222911

क्र 652 /रा॰ वि॰ / न॰पा॰नि॰ /2025 –::पौनी पसारी नियम / शर्तें::– रायगढ़ दिनांक – 13/05/25

—0::0—

01. आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।
02. आवेदन पत्र बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक अथवा साधारण डाक के माध्यम से स्वींकार किया जावेगा, जिसमें लिफाफा के उपर "पौनी पसारी अंतर्गत आवेदन पत्र" का लेख किया जाना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् लिफाफा प्राप्त होने की आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
03. पौनी पसारी योजनातंर्गत निर्मित चबूतरों को शासन द्वारा निर्धारित व्यवसाय सैलून / पार्लर, मोची, धोबी / लाण्ड्री, दर्जी, मुर्तिकार, बढ़ाई, पेन्टर, चाय–पकोड़ा स्टॉल, आभूषण एवं सौन्दर्य सामाग्री (मणिहारी), दुध एवं दुध से निर्मित उत्पाद, लोहार, कुम्हार, घसिया, मरार, केंवट गडरिया, कोष्टा, पटवा, दोना–पत्तल, बॉस का टोकना, सूपा, कंबल, चटाई, सब्जी–भाजी, गोदना / टैटू, फूलमाली, पूजन सामाग्री के व्यवसांय के लिए आबंटित किया जाना हैं।
04. आबंटिती से प्रतिदिवस 10 रूपये के दर से किराया राशि वसूल किया जावेगा।
05. आबंटित चबूतरों में किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराना / फेरबदल करना प्रतिबंधित रहेगा।
06. निर्धारित व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यावसाय करना प्रतिबंधित हैं।
07. अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में लॉटरी पद्धति द्वारा चयन / वितरण किया जावेगा।
08. नगर निगम को आवश्यकता होने पर 30 पूर्व सूचना देकर चबूतरें का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
09. आबंटिती द्वारा चबूतरे का कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जावेगा।
10. आबंटन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में अंतिम निर्णय आयुक्त, नगरपालिक निगम रायगढ़ का होगा।
11. उपरोक्त नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर आबंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त
नगरपालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

Scanned with OKEN Scanner